अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में जनरल वेस्ट के निष्तारण के कार्य हेतु

दर अनुंबन्ध आंमत्रण

पुछताछ संख्या	: प्रशासन/रख–रखाव/06/2022. एम्स. जेडीएच
पूछताछ जारी करने की तिथि	: 30 अप्रेल, 2022
जमा करने की अंतिम तिथि	: 06 मई 2022 अपराह्न 03.00 बजे ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

बासनी फेज –।। जोधपुर –342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291–2740741, ईमेलः procurement@aiimsjodhpur

www.aiimsjodhpur.edu.in

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य /रख–रखाव/06/2022. एम्स. जेडीएच

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में सामान्य वेस्ट निष्तारण हेतु वार्षिक दर अनुबंन्ध

निदेशक, एम्स जोधपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। सामान्य वेस्ट के निष्तारण के कार्य के लिए नियम एंव शर्तो एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हूए कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 06.05.2022 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेशन को उचित लिफाफें में सीलबंद कर उसके ऊपर निम्नानुसार लिखा जाए– " सामान्य वेस्ट निष्तारण के कार्य के लिए कोटेशन "

पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य /रख–रखाव/06/2022. एम्स. जेडीएच 06.05.2022 को अपराह्न 03.00 बजे

1. **नियम और शर्तेः–**

(क) निर्धारित सयम सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा चाहे परिस्थितियॉ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेंदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फैक्स /ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(ख) कोटेशन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेशक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेशक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का प्रधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेशन निर्धारित कोटेशन बॉक्स मे जो कि एम्स के प्रशासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहा छोडा जाना अनिवार्य हैं।

(ग) सामान्य वेस्ट निष्तारण_के कार्य की दरों को भारतीय रूपये में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।

(घ) सामान्य वेस्ट निष्तारण_के कार्य की दरों को माल भाडा शुल्क, बीमा, स्थापना (संस्थान के रख–रखाव स्टोर से ले जाना) आदि सहित उद्धृत किया जाए।

(ड) सामान्य वेस्ट निष्तारण_के कार्य की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कॉट–छॉट(कटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता हैं तो कोटेशन को रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।

(च) सामान्य वेस्ट निष्तारण_के कार्य की दरें कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। इस मुद्दें पर किसी भी निविदा के उद्दरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।

(छ) एल–1 बनना किसी भी आपूर्ति आदेश पाने का मानदंड नही होगा जब तक (ज) आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेंसी को आटीजीएस/एनईएफटी का विवरण बोलीदाता के लेटर हेड पर उद्दरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक/अनिवार्य हैं।

(झ) फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित शर्ते पूरा करने का स्व–सत्यापित प्रति उद्दरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है–

:– फर्म/एजेंसी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।

:– फर्म/एजेंसी के पास वैध जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना ।

:– फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड(अवैध) घोषित नहीं किया गया।

(ञ) अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उद्दरण जैसे " पूर्व के अधीन" पुष्टिकरण" तत्काल स्वीकृति के अधीन" आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा तथा कोटेशन को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सशर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।

(ट) सामान्य वेस्ट निष्तारण_के कार्य का निष्पादन आदेश के 7 दिन के अन्दर निष्पादन कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा। जो कि दर अनुबंध की तारीख से एक वर्ष तक लागू रहेगा। कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमतिता आने पर समय से पूर्व निरस्त किया जा सकता है।

(ठ) परिसमापन क्षतिः– यदि कार्य निर्धारित समय में निष्तारण करने में विफल रहता हैं तो प्रतिदिन 0.5 प्रतिशत की दर से या आपूर्ति आदेश मुल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा। या बिना किसी नोटिस के अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास रहेगा। जिसमें बोलीदाता दर अनुबंन्ध में किसी प्रकार शर्त के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

(ड) भुगतान शर्तें :– बोली द्वारा प्रस्तुत करने वाली फर्म को राशि कार्यादेश मिलने के 7 दिवस में डी.डी या चैक से जमा कराने के पश्चात ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। भुगतान जमा नहीं कराने पर बिना नोटिस कोटशन प्रक्रिया को निरस्त माना जायेगा।

(ढ) विवाद :– फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग के बीच किसी भी प्रकार का विवाद याशर्तों की व्याख्या के सबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जॉच निदेशक एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ण) एम्स जोधपुर किसी भी उद्दरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं ।

(त) सामान्य वेस्ट निष्तारण_के कार्य लिये जहॉ है जैसा है के आधार पर किया जायेगा। जो कि प्रतिदिन निर्धारित समय पर किया जायेगा। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता होने पर कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार संस्थान के पास होगा। और यदि सामान्य वेस्ट को संस्थान से बाहर ले जाने वाले वाले व्यय का भुगतान संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।

(थ) संस्थान के बायोमेडिकल वेस्ट/बिन/तथा अन्य कोई सामग्री जो संस्थान द्वारा अलग निविदा द्वारा किया जा रहा है, इस दर अनुंबध में शामिल नहीं होगा।

(द) बोली दाता को धरोहर राशि हेतु रूपये 4000/– मॉगपत्र/ एफ.डी.आर के रूप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के पक्ष में देय तथा अंतिम दिनांक से 180 दिवस की अवधि तक मान्य कर प्रस्तुत करना होगा।

(ध) बोलीदाता द्वारा निविदा पूर्ण नहीं करने अथवा किसी विवाद की दशा में धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।

2. **नियम और शर्तें :–**

1. बोलीदाता को अनुबंध 1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का उद्दरण देना होगा।
2. सबसे अधिक दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का निर्णय समिति द्वारा समग्र आधार पर किया जायेगा। जो कि अंतिम निर्णय होगा।
3. सामान्य वेस्ट निष्तारण के कार्य सम्बन्धित किसी प्रकार की पूछताछ कार्यालय कार्य दिवस में मेडीकल कॉलेज तृतीय तल भण्डार में की जा सकती है।

उप–निदेशक(प्रशासन)

संलग्नः– अनुलग्नः 1. विनिर्देश अनुबंध
2. मूल्य बोली का प्रारूप

पुछताछ संख्याः प्रशासन / सामान्य / रख–रखाव / 06 / 2022. एम्स. जेडीएच

अनुलग्नः 1. विनिर्देश अनुबंध

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन ईकाई	आरक्षित दर	विशेष विवरण
1	Packing cartoon, west newspaper	4 tan	30,000	
2	General Plastic box, empty containers different size	200 kg	10,000	

उक्त सामान्य वेस्ट सामग्री पूर्वानुमानों पर आधारित है तथा माप कम ज्यादा भी हो सकता है। जिसमें संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अतः दर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी जिसमें संस्थान द्वारा तय मापन इकाई अनुमानित है।

यह है कि संस्थान द्वारा आरक्षित दर से अधिक बोलीदाता द्वारा राशि जमा कराये जाने के बाद कार्य निष्तारण का कार्यादेश एक वर्ष के लिये दिया जायेगा। जो कि कार्यादेश की दिनांक से लागू होगा।

फर्म के लेटर हेड पर

अनुलग्नः 2
मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान उप–निदेशक (प्रशासन)

एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैने/हमने..................................... सामान्य वेस्ट निष्तारण_के लिए दर अनुबंन्ध के आंमत्रण के लिए उद्दरण प्रस्तुत किया। पूछताछ संख्या सामान्य वेस्ट निष्तारण के दर अनुबंनध के लिये पुछताछ संख्याः प्रशासन/सामान्य /रख–रखाव/06/2022. एम्स. जेडीएच जमा करने की अंतिम तिथि 06 मई 2022 अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तुत किया।

2. मैने/हमनें सामान्य वेस्ट निष्तारण_कार्य के लिए दर अनुबंध का आंमत्रण के नियमों और शर्तो की पूरी जांच करके समझा/स्वीकार कर लिया हैं तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उद्दरण अस्वीकार कर दिया जाए।

3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मापन की ईकाई	अनुमानित मात्रा	आरक्षित दर (कुल राशि)	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर	जी.एस.टी	कुल राशि जी.एस.टी सहित
1	Packing cartoon, west newspaper Other west (bardana)	Per Tan	4 tan	30,000			
2	General Plastic box different size	Per kg	200 kg	10,000			

नोटः– बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में की अपना कोटेशन उद्धृत करना हैं अन्यथा कोटेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक.......................................नाम.......................................

स्थान...

फर्म/एजेंसी का नाम...

जीएसटीआईएन नंबर...

बैंक का नाम..

बैंक खाता नम्बर..

आईएफएससी कोड...

शाखा का नाम...

फोन नंबर..

ईमेल...

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

सील(स्टाम्प)............................

पुछताछ संख्याः प्रशासन / सामान्य / रख–रखाव / 06 / 2022. एम्स. जेडीएच